कार्यालय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

विधिक सेवा समिति इंदौर

सूचना

दिनांक 11 दिसम्बर 2021 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित है, उच्च न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जावेगा ।

अतः समस्त पक्षकारों एवं विद्वान अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने उपयुक्त प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से कराना चाहते हैं साथ ही ऐसे अधिवक्ता जो अपना प्रकरण स्वेच्छा से वापस लेना चाहते हैं, वे यथाशीघ्र प्रकरणों की सूची कार्यालयीन समय में कार्यालय– उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इन्दौर में अथवा कार्यालयीन ई–मेल आई.डी. hclsc.indore@gmail.com में प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि कॉजलिस्ट प्रकाशित कराई जा सके ।

दिनांक –28/09/2021

(बी. के. द्विवेदी)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर